हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

नर्सिंग/पैरामेडिकल उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउसिंलिंग (द्वितीय चरण)
प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure) सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना

Procedure for admission (Already admitted students)

Seat upgraded from Govt College to another Government College	1. Download allotment letter directly 2. Report to admitted college 3. Complete seat withdrawal formalities 4. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new Nursing/Paramedical college
Seat upgraded from one private Nursing/Paramedical college to another Private Nursing/Paramedical ollege	1. Download allotment letter directly 2. Report to admitted college 3. Complete seat withdrawal formalities 4. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new Nursing/Paramedical
Seat upgraded from Private Nursing/Paramedical college to govt Nursing/Paramedical college	1. Download allotment letter directly 2. Report to admitted college 3. Complete seat withdrawal formalities 4. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new Nursing/Paramedical college
Old college retained seat Upgraded	1. Download allotment letter directly 2. Submit to already admitted college
Old seat retained	No action is required

<u>Procedure for admission(New Admission)</u>

Step 1	Login to website with your login ID
Step 2	Download allotment letter using your login ID
Step 3	Report to allotted college with tuition fee receipt and other required documents enlisted below
Step 4	Collect your admission letter from the college.

- काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा आन–लाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी समस्त सूचनाओ के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है। यह आवंटन प्रथम दृष्टया अस्थाई **(Provisional)** है।
- अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आवंटित सीट का **Allotment Letter** विश्वविद्यालय की बैवसाईट पर दिये गये लिंक से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या के समक्ष संबंधित वांछित अभिलेख प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनांक 26.10.2024) तक उपलब्ध नही करवा पाता है अथवा उसके द्वारा प्राचार्य/प्राचार्या के सम्मुख प्रस्तुत किये गये अभिलेखो की जॉच से यह ज्ञात होता कि अभ्यर्थी संबंधित निर्धारित मानकानुसार अर्हता नही रखता है, तो उसकी आवंटित सीट को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- नर्सिंग/पैरामेडिकल 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र–छात्रा को प्रवेश लिये जाने के समय समस्त वाछित आवश्यकीय मूल शैक्षणिक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ,श्रेणी–उपश्रेणी, प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों से अभ्यर्थी की संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्हता का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अतः संबंधित संस्थान अभ्यर्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी अर्हता सुनिश्चित करनें के उपरान्त ही प्रवेश दे।
- पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, प्रमाण पत्रो (जाति/उपजाति/स्थाई/मूल निवास/शैक्षिक योग्यता इत्यादि) के संबंध में सूचना विवरणिका में प्रकाशित नियम/शर्ते ही मान्य होगी। प्रवेश हेतु अमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही किये जायेगें और ना ही प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य होगा।
- द्वितीय चरण काउसिलिंग में प्रवेश लिये जाने हेतु अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 26 अक्टूबर 2024 है। इस तिथि के पश्चात द्वितीय चरण में आवंटित छात्र–छात्राओं की प्रवेश कार्यवाही नही की जायेगी तो तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकतें है।
- ऐसे अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन <u>**नही हुयी है**</u> की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। परन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।

प्रथम बार सीट आवंटित छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रियाः–

* ऐसे छात्र–छात्राये जो प्रथम बार आवटित सीट पर प्रवेश लेगे उनके द्वारा भी प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी होगी।

द्वितीय बार सीट आवंटित छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रियाः–

* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिगं चरण में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरुप नवीन सीट आवटित हुयी है, ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल अभिलेख प्राप्त करते हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें। तत्पश्चात वे नवीन आवटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मूल अभिलेखो एवं पूर्व में जमा अग्रिम शुल्क धनराशि की रसीद सहित व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें।
* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हे द्वितीय चरण काउन्सिलिगं में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरुप सीट आवटित हुयी है, ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने जमा समस्त मूल अभिलखो प्राप्त करतें हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें। तत्पश्चात वे नवीन आवटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मलू अभिलेखो निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें।
* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिगं चरण में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर उसी संस्थान में आवंटित श्रेणी (क्षैतिज/उर्ध्व) में परिवर्तन (अपग्रेड) से राज्य कोटे मे अपग्रेड होने के फलस्वरुप नवीन सीट आवटित होती है, ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपना डाउनलोड Allottment Letter संस्थान मे जमा करते हुये अपनी प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें।
* पूर्व में प्रथम चरण में प्रवेशित जिन अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण में किसी अन्य संस्थान में सीट अपग्रेडेशन नही हुआ है, उन्हे कोई भी कार्यवाही नही करनी है। उनका पूर्व आवटित संस्थान में प्रवेश यथावत रहेगा।

- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य शेष नियम व शर्तें Information Bulletin के ADMISSION PROCEDURE के अनुसार यथावत रहेंगी।

- शेष नियम व शर्ते Information Bulletin में वर्णित प्राविधानुसार यथावत रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे Information Bulletin का भली भॉति अध्ययन कर लेवे।

- भविष्य में प्रवेश/काउंसिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाऐ/अपडेट समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन अवश्य करते रहें।

- तृतीय चरण काउन्सिलिंग कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

नोटिस प्रकाशन तिथि – 22.10.2024

सदस्य सचिव
नर्सिंग/पैरामेडिकल–2024
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउसिलिंग बोर्ड